भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3167
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

ईवीएम वोटों के साथ वीवीपैट पर्चियों का मिलान

3167. श्री आनंद भदौरिया :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2024 के दौरान उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में वीवीपैट पर्चियों तथा ई.वी.एम.मतों के मिलान के लिए दायर याचिकाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या भारत निर्वाचन आयोग इस तथ्य के बावजूद कि अनेक लोक सभा तथा विधान सभा उम्मीदवारों ने उक्त मिलान के लिए अपेक्षित धनराशि जमा कर दी है, उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवमानना करते हुए मतगणना के पश्चात् वीवीपैट पर्चियों तथा ई.वी.एम.मतों के मिलान की अनुमति नहीं दे रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके राज्य-वार कारण क्या हैं ;

(घ) क्या उक्त वीवीपैट मिलान के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि वोटर वैरीफाइबल पेपर आडिट ट्रेल यूनिट (वीवीपैट) स्लिपों के साथ इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) मतों के मिलान के लिए 2024 में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में कुल 8 याचिकाएं फाइल की गईं थीं । ब्यौरे **उपाबंध 'क'** पर संलग्न हैं ।

(ख) : भारत के निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि एन.चंद्रबाबू नायडू बनाम भारत संघ में तारीख 8 अप्रैल, 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण में, मतों की गणना के पश्चात् प्रति सभा निर्वाचन क्षेत्र/खंड के बिना सोचे समझे चयनित पांच मतदान केंद्रों की वीवीपैट स्लिपों का अनिवार्य सत्यापन किया जाता है । उक्त अनिवार्य सत्यापन के लिए किसी रकम का निक्षेप अपेक्षित नहीं है । भारत के निर्वाचन आयोग ने और कथन किया है कि यथापेक्षित, 2024 में आयोजित हुए सभी निर्वाचनों में अनिवार्य सत्यापन किया जा चुका है ।

(ग) से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****

उपाबंध – क

माननीय उच्चतम न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों में वीवीपैट स्लिपों के साथ ईवीएम मतों के मिलान के लिए 2024 के दौरान फाइल याचिकाओं का ब्यौरा ।

क्र.सं	न्यायालय का नाम	मामला सं.	मामले का शीर्षक
1.	भारत का उच्चतम न्यायालय	रिट याचिका (सिविल) सं.2024 का 247	मोहित कुमार भंडारी बनाम भारत का निर्वाचन आयोग
2.		रिट याचिका (सिविल) सं.2024 का 277	अभय भाकचंद छजेड बनाम भारत का निर्वाचन आयोग
3.		रिट याचिका (सिविल) सं.2024 का 184	अरुण कुमार अग्रवाल बनाम भारत का निर्वाचन आयोग
4.	मद्रास उच्च न्यायालय	रिट याचिका सं. 2024 का 9578	द्रविड़ मुनेत्र कडगम बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त
5.		रिट याचिका सं. 2024 का 10374	एफ. कैमीलस सेल्वा बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त
6.	बाम्बे उच्च न्यायालय (बाम्बे न्यायपीठ)	सिविल रिट याचिका सं. 2024 का 4356	सूर्यकांत अभिमन्यु फड़के बनाम भारत संघ तथा अन्य
7.	दिल्ली उच्च न्यायालय	रिट याचिका (सिविल) सं.2024 का 11103	हंसराज जैन बनाम भारत का निर्वाचन आयोग
8.	कलकत्ता उच्च न्यायालय	एफएमएटी सं. 2024 का 91	कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम भारत का निर्वाचन आयोग और अन्य

****